बरकतउल्ला विश्वविद्यालय
भोपाल

अकादमी शाखा

● कार्यवृत्त ●

कार्यपरिषद की बैठक

क्रमांक. NV-19

बैठक दिनांक : 14/10/2025

स्थान:- नर्मदा सभागार (कुलपति कार्यालय) समय:- अपरान्ह :03:00

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

होशंगाबाद रोड, भोपाल म.प्र.462026

क्रमांक 2559/अकादमी/का.बै.–02/2025 भोपाल, दिनांक 14-10-25

// कार्यवृत्त क्रमांक : एन.व्ही.–19 //

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14/10/2025 की कार्यवृत्त निम्नानुसार है :-

// कार्यवाही विवरण //

आज दिनांक 14.10.2025 को अपरान्ह: 03.00 बजे नर्मदा सभागार, कुलपति कार्यालय में आयोजित कार्यपरिषद की बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी :-

1. प्रो. एस.के. जैन कुलपति – पदेन अध्यक्ष
2. श्री नीरज मरावी – सदस्य
3. श्री दीपक पालीवाल – सदस्य
4. श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी – सदस्य
5. श्री अनिल कुमार पिल्लई – सदस्य
6. डॉ. किरण शेजवार – सदस्य
7. डॉ. भारती कुम्मरे सातनकर – सदस्य
8. प्रो. ताहिरा वाहिद अब्बासी – सदस्य
9. प्रो. अंशुजा तिवारी – सदस्य
10. प्रो. साधना दानौरिया – सदस्य
11. प्रो. अनीता धुर्वे – सदस्य
12. प्रो. सीमा रजा – सदस्य
13. डॉ. अनिल शर्मा, कुलसचिव – पदेन सचिव

पद क्र.01/02/2025	**कार्यपरिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण की संपुष्टि।**
विवरण:–	**कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27-03-2025 को आयोजित की गई कार्यपरिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण की संपुष्टि हेतु प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।** परिशिष्ट–01
निर्णय:–	मान.सदस्यों द्वारा उपरोक्त विषय में सुझाव दिया कि जब कार्यपरिषद की बैठक दिनांक **27-03-2025** को जब कार्यवृत्त जारी किए जा चुके है तो अब उक्त प्रस्ताव की आवश्यकता उचित नहीं है अतः आगामी बैठकों में इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत नही किए जाएं।
पद क्र.02/02/2025	विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।
विवरण:–	विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक **05-05-2025, 11-06-2025, 27-06-2025, 17.07.2025,** एवं **12.08.2025** के कार्यवृत्तों का अनुमोदन हेतु प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। परिशिष्ट–02

EC Meeting Aug 2025 (3)

निर्णयः–	प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरांत निरंतरता एवं संबंद्धता संबंधी प्रस्तुत प्रकरणों में एक माह के अंतराल से पुनः परीक्षण कर निरीक्षण कराया जाए एवं आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए। शेष प्रकरण मान्य किए जाते है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से यूनीवर्सल ह्यूमन वेल्यूज के जो प्रशिक्षण कराये जा रहें है उसमें विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों को भी सम्मिलित कराया जाए।
पद क. 03/02/2025	विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।
विवरणः–	विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन परिषद (एकेडमिक प्लानिंग एण्ड एन्यूलेशन काउंसिल) की बैठक दिनांक 30.05.2025 अनुमोदन हेतु प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। परिशिष्ट–03
निर्णयः–	प्रस्ताव मान्य किया गया एवं विश्वविद्यालीन बी.यू.आई.टी. एवं यू.टी.डी. में ए.आई., मशीन लर्निंग एवं अन्य रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
पद क. 04/02/2025	विश्वविद्यालय खेल समिति की बैठक दिनांक 06/03/2025 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।
विवरणः–	विश्वविद्यालय खेल समिति की बैठक दिनांक 06/03/2025 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन हेतु प्रकरण मा. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। परिशिष्ट–04
निर्णयः–	प्रस्ताव मान्य किया एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ही व्यय किया जाए। मान. कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग, एस.ए.आई. एवं खेल अन्य मान्य खेल परिषदों में छात्रों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से

पद क्र. 05/02/2025	संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 22.07.2023 मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ बाबत।
विवरण	सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 22/07/2023 जिसमें राज्य शासन के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के WP-21912/2024 दिनांक 18.09.2025 में पारित आदेशानुसार उक्त परिपत्र के संबंध में मान. कार्यपरिषद द्वारा तीस दिवस की समयावधि में निर्णय लिया जाना है। प्रकरण मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णयः–	प्रस्ताव मान. कार्यपरिषद सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं मान. न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
पद क्र. 06/02/2025	अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने बाबत।
विवरण	वि.वि. की विभिन्न अध्ययन शालाओं में कुल 26 विभाग संचालित किये जा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षकों से पठन पाठन कार्य करवाया जाता है। अतिथि शिक्षकों को रू.500/–प्रति कालखण्ड की दर से प्रतिदिन तीन कालखण्ड प्रतिदिन दिये जाकर भुगतान किया जाता है। विभाग वार वर्कलोड गणना करने पर लगभग 190 अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय के आदेश दिनांक 05/10/2023 अनुसार अतिथि विद्वानों (शिक्षकों) को 01/10/2023 से प्रति दिवस 2000/–अथवा अधिकतम मासिक रू. 50,000/– पचास हजार रूपये मात्र प्रदन करने के आदेश प्रसारित किये हैं। इस तारतम्य में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, आर.जी.पी.व्ही.भोपाल द्वारा अतिथि शिक्षकों को रू. 50,000/–(पचास हजार) रूपये प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। चूंकि प्रत्येक अतिथि शिक्षकों को वर्तमान में प्रतिदिन तीन कालखण्ड रू.500/–की दर से 1500/–रू. प्रतिदिन दिया जा रहा है जिसका मासिक 1500X25=37500 रूपये प्रतिमाह होता है। बढ़ी हुई महंगाई दर को देखते हुऐ अतिथि विद्वानों को रूपये 50,000/–(पचास हजार) प्रतिमाह दिया जाना उचित होगा जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी साथ ही ये अतिथि शिक्षक अन्य नियमित शिक्षकों के समान ही कार्यालयीन समय में पूरे समय कार्यालय में उपस्थित रहकर दिये गये सभी कार्य सम्पादित करेंगे। इस प्रकार हम NAAC तथा NIRF में भी इन शिक्षकों को दर्शा सकते हैं। चयन प्रकिया शासन के नियमानुसार शीघ्र की जावेगी जिससे उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक मिलेंगे। साथ ही पूर्व से कार्यरत संविदा शिक्षकों को भी रू. 50000/–पचास हजार रूपये प्रतिमाह दिया जाना उचित होगा। अतः अतिथि शिक्षकों तथा पूर्व से कार्यरत संविदा शिक्षकों को रूपये 50000/–(पचास हजार) प्रतिमाह दिया जाने हेतु प्रस्ताव मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णयः–	प्रस्ताव स्थगित किया गया एवं एक कमेटी गठित कर प्रस्ताव का परीक्षण कराया जाए एवं समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना

	प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। 1. आवश्यकता/वर्कलोड 2. वार्षिक व्ययभार 3. उच्चशिक्षा विभाग की नीति निर्देश 4. विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति एवं बजट प्रावधान।
पद क. 07/02/2025	म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (xxx) के तहत डिग्री प्रत्याधन (withdraw) हेतु निर्मित परिनियम बाबत।
विवरण	उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के निर्देशानुसार परिनियम निर्माण हेतु तीन संकाय अध्यक्ष की समिति गठित की गई थी समिति द्वारा परिनियम का निर्माण कर मान. कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णयः–	प्रस्ताव मान्य किया गया।

14/10/2024

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ. क्रमांकः 2560/अकादमी/का.बै.–02/2025 भोपाल, दिनांक : 14-10-25

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कुलगुरू के निज सचिव के माध्यम से मान. कुलपतिजी के सूचनार्थ।
6. कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिवजी के सूचनार्थ।
7. निजी नस्ती ।

सहा–कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2655 /अकादमी/2025

भोपाल, दिनांक 31-10-2025

—: अधिसूचना:—

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.10.2025 के पद क्रमांक 05/02/25 के विवरण में टंकण त्रुटि के कारण, "माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के WP-21912/2024 दिनांक 18/09/2025 में पारित आदेशानुसार उक्त परिपत्र के संबंध में मान. कार्यपरिषद् द्वारा तीस दिवस की समयावधि में निर्णय लिया जाना है। अंकित हो गया था। इसे "माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के WP-21912/2024 दिनांक 18/09/2025" में पारित आदेशानुसार उक्त परिपत्र के संबंध में मान. कार्यपरिषद् के समक्ष तीस दिवस की समयावधि में प्रस्तुत किया जाना है।"
पढ़ा जावें।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31-10-2025

क्रमांक 2656/अकादमी/2025
प्रतिलिपि:—

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कुलगुरू के निज सचिव के माध्यम से मान. कुलपतिजी के सूचनार्थ।
6. कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिवजी के सूचनार्थ।
7. निजी नस्ती।

सहा. कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल